रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223203
CG-DL-E-20112020-223203
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3668] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/ कार्तिक 29, 1942
No.3668] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4170(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण((एसईआईएए),कर्नाटक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, कर्नाटक कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	डॉ. के. आर. श्री हर्ष, # 5/76, भारती, दूसरी मंजिल, 4 वीं मेन, ओपी महिला मंडली स्कूल, एनआर कॉलोनी, बसवनगुड़ी, बेंगलुरु -560019	अध्यक्ष ;
2.	श्री के एन शिवलिंग गौड़ा, नंबर 297, 8 वीं मुख्य बीसीसी लेआउट, चंद्र लेआउट के पास, बेंगलुरु -560040	सदस्य ;

3.	सरकार के प्रमुख सचिव (पारिस्थितिकी और पर्यावरण) वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार, एम एस बिल्डिंग, बेंगलुरु -560001	सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, कर्नाटक अपने विनिश्चय कर्नाटक राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, कर्नाटक की सहायता के उद्देश्य के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (एस.ई.ए.सी.) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., कर्नाटक कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1.	श्री वेणुगोपाल वी, सं. 135, 12 ° बी मेन, 6 ”ब्लॉक, राजाजीनगर, बेंगलुरु -560010	अध्यक्ष;
2.	डॉ शेकर एच एस, #302, 3 री ”मंजिल कोमटेहल्ली रेलवे के पास, समरतुरी जोड़, विरुपक्षपुरा गेट, थिंड्लू मेन रोड, बैलेरी रोड, बेंगलुरु -97	सदस्य;
3.	डॉ जे बी राज, प्रिंसिपल (सेवानिवृत्त) डीआरएम साइंस कॉलेज, # 1962/1, विनायक सदन, विनायक बादवेने-1 मुख्य, दावणगेरे	सदस्य;
4.	श्री नंद किशोर, # 150, 2 ”क्रॉस, सेंट्रल एक्साइज लेआउट, बोपासांड्रा, बेंगलुरु-560094	सदस्य;
5.	डॉ एस के गली, सेवानिवृत्त डीन-फॉरेस्ट्री) यूएएस, धारवाड़ सं. 50, शांतिनिकेतन नगर, धारवाड़ -580008	सदस्य;
6.	श्री वैशाख वी आनंद, सदस्य; ईडब्लू-702, रहेजा रेजीडेंसी, 3रा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560034	सदस्य;
7.	श्री दिनेश एमसी, # 320, विशाल कृपा, 3 मेन रोड, डी ग्रुप लेआउट, श्रीगंधजा कवलु विश्वनोम पोस्ट, बेंगलुरु -560091	सदस्य;
8.	श्री देवगौड़ा राजू, कृषि निदेशक (सेवानिवृत्त) सं. 42, 3री स्टेज, 4 ”ब्लॉक, विश्वेश्वरय्या पार्क के पास, बैंगलोर उत्तर, बसवेश्वरा नगर, बेंगलुरु -560079	सदस्य;

IndiaCode

9.	श्री शरणबसवा चंद्रशेखर पिल्ली, अन्नपूर्णा, प्लॉट नं. 1254, सह्याद्री नगर, बुडा सेक्टर 47, बेलागवी -590019	सदस्य;
10.	श्री जे जी कावेरीप्पा, सी603, वेरीविलास, सीआरपीएफ के सामने, डोड्डाबल्लपुरा, मेनरोड, येलहंका, बेंगलुरु -560064	सदस्य;
11.	श्री महेंद्र कुमार एम सी, # 316, 6 "मेन रोड, बीएसके 1 ° स्टेज, श्रीनगर, बेंगलुरु -560050	सदस्य;
12.	श्री बी वी ब्यारा रेड्डी, सम्पदा फार्म गदगी मुख्य सड़क, बोगाधी, मैसूर -570026	सदस्य;
13.	डॉ सर्वमंगला आर पाटिल, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, प्लॉट नं. 4, से. सं 39/3, नागनहल्ली रोड के पास, कोरंती हनुमान मंदिर के पास, कलबुर्गी -585103	सदस्य;
14.	श्री बी रामसुब्बा रेड्डी, # ए -2 / 14-03, एलीटा प्रोमेनेड अपार्टमेंट, आरबीआई लेआउट के पास, जे पी नगर, 7 "चरण, बेंगलुरु-560078	सदस्य;
15.	विशेष निदेशक (तकनीकी सेल), वन, परिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार एमएस बिल्डिंग, बेंगलुरु -560001	सदस्य सचिव

6. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हित के किसी भी संघर्ष से बचने के लिए, -

(क) प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य घोषित करें कि वे किस परामर्श संगठन और साथ ही परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;

IndiaCode

(ख) प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य एक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के साथ किसी भी परामर्श या सहयोगी नहीं होंगे का कार्य करें जिसके द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक द्वारा मूल्यांकन किया जाना है; तथा

(ग) यदि पिछले पाँच वर्षों में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों में से किसी ने, परियोजना के प्रस्तावक, के लिए कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक परामर्श सेवाएँ प्रदान की हैं या किसी के लिए ईआईए अध्ययन किया है उस घटना में वे प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्वयं को बैठकों से हटा देंगे ।

10. कर्नाटक राज्य सरकार, प्राधिकरण कर्नाटक और एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता कर्नाटक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/16/2007आई.ए.।।(।)]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14thSeptember, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Karnataka (hereinafter referred to as the Authority, Karnataka) comprising of the following Members, namely:—

1.	Dr K. R Sree Harsha, #5/76, Bharathi, 2nd Floor, 4th Main, Opp Mahila Mandali School, NR Colony, Basavanagudi, Bengaluru-560019	Chairman;
2.	Shri K N Shivalinge Gowda, No. 297, 8th Main BCC Layout, Near Chandra Layout, Bengaluru-560040	Member;
3.	Principal Secretary to the Government (Ecology & Environment) Forest, Ecology and Environment Deptt., Government of Karnataka, M S Building, Bengaluru-560001	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette Notification.

4. The Authority, Karnataka shall take its decisions after the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 of this order for the State of Karnataka.

5. To assist the Authority, Karnataka, the Central Government, in consultation with the State Government of Karnataka, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC), Karnataka (hereinafter referred to as SEAC, Karnataka) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Venugopaql V, No. 135, 12th B Main, 6th Block, Rajajinagar, Bengaluru-560010	Chairman
2.	Dr. Shekar H S, #302, 3rd Floor Samtrupti Aparts, Virupakshspura, Near Kodigehalli Railway Gate, Thindlu Main Road, Ballary Road, Bengaluru-97	Member;
3.	Dr. J B Raj, Principal (Retd) DRM Science College, #1962/1, Vinayaka Sadana, Vinayaka Badavane-I Main, Davanagere	Member;
4.	Shri Nanda Kishore, # 150, 2nd Cross, Central Excise Layout, Boopasandra, Bengaluru-560094	Member;
5.	Dr. S K Gali, Retired Dean –Forestry) UAS, Dharwad No. 50, Shantiniketan Nagar, Dharwad-580008	Member;
6.	Shri Vyshak V Anand, EW-702, Raheja Residancy, 3rd Block, Koremangala, Bengaluru-560034	Member;
7.	Sri Dinesh MC, #320, Vishala Krupa, 3rd Main Road, D Group Layout, Srigandhja Kavalu Viswaneedom Post, Bengaluru-560091	Member;
8.	Shri Devgowda Raju, Director of Agriculture (Retd) No. 42, 3rd Stage, 4th Block, Near Vishweshwarayya Park, Bangalore North, Basaveshwara Nagar, Bengaluru-560079	Member;
9.	Shri Sharanabasava Chandrashekhar Pilli, Annapurna, Plot No. 1254, Sahyadri Nagar, BUDA Sch. 47, Belagavi-590019	Member;
10.	Shri J G Kaveriappa, C603, Veracious Vanivilas, Opp to CRPF, Doddaballapura, Main Road, Yelahanka, Bengaluru-560064	Member;
11.	Shri Mahendra Kumar M C, #316, 6th Main Road, BSK 1st Stage, Srinagara, Bengaluru-560050	Member;
12.	Shri B V Byra Reddy, Sampada Farm Gaddige main Road, Bogadhi, Mysore-570026	Member;
13.	Dr. Sarvamangala R Patil, Vishweshwariah College of Applied Sciences, Plot No. 4, Sy No. 39/3, Naganahalli Road, Near Koranti Hanuman Temple, Kalaburgi-585103	Member;
14.	Sri B Ramasubba Reddy, #A-2/14-03, Elita Promenade Apartment, Near RBI Layout, J P Nagar, 7th Phase, Bengaluru-560078	Member;
15.	Special Director (Technical Cell), Forest, Ecology and Environment Department, Government of Karnataka, MS Building, Bengaluru-560001	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

IndiaCode

7. The SEAC, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette Notification.

8. The SEAC, Karnataka shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest,-

(a) the Chairman and Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Karnataka shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all the statutory functions of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka shall be paid as per the rules of the State Government of Karnataka.

[F. No. J-11013/16/2007-IA-II (I)]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

India Code

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.20 20:14:41 +05'30'